



निग-१३५-१-१६

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. .... / ..... / .....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री धुरई लाल गौड़ पिता मुल्लू उर्फ मूलचंद गौड़

विरुद्ध -

अनावेदक - 1. श्री बलराम तिलवानी पिता स्व आर सी तिलवानी

2. कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 01/अ-21/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दि. 29/02/2016 से व्युत्थित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक आदिवासी श्री धुरई गौड़ उम्र 42 वर्ष पिता श्री मुल्लू उर्फ मूलचंद गौड़ निवासी मकान नं. 69 हिनौतिया, तह. व जिला जबलपुर द्वारा आवेदन पेश कर ग्राम हिनौतिया प.ह.नं 53/82 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 265/1 रकवा 2.00 हेक्टे. में से 0.40 हेक्टे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री बलराम तिलवानी उम्र 53 वर्ष पिता स्व.श्री आर.सी.तिलवानी निवासी मकान नं. 5, शीला टॉकीज कम्पाउण्ड, सिविल लाईन तह. व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत चाही गई थी।

3- प्रकरण में नायब तहसीलदार खम्हरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 16/12/2015 में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 4.46 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित एक फसली है और आवेदित भूमि निस्तार पत्रक/वाजिब उल अर्ज में दर्ज नहीं है। संलग्न पटवारी प्रतिवेदन की कंडिका (8) में लेख है कि अनुमति दिये जाने से आवेदक के आर्थिक हितों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17/3/16

17-3-16  
17-3-16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 935-एक/2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-3-16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-21/2015-16 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.02.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम हिनोतिया प.ह.न.53/82 रा.नि.म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं.265/1 रकवा 2.00 है०, में से 0.40 है० भूमि के मालिक काबिज भूमिस्वामी है। उक्त भूमि को वह अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करना चाहता है, इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि उसके पास 4.46 है० भूमि सिंचित/असिंचित शेष बचेगी। इसलिये आवेदक को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 01/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर</p>	





कलेक्टर, जबलपुर ने पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 को पुनः प्रतिवेदन अभिमत सहित बुलाये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से उठाये गये तथ्यो पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 03.10.2015 से अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से प्रतिवेदन अभिमत सहित आगामी पेशी से पूर्व मंगाया गया था, जो प्रतिवेदन विधिवत रूप से जाँच कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2015 को प्रस्तुत कर दिया गया था, इसके बावजूद पुनः प्रतिवेदन बुलाये जाने का आदेश दिनांक 29.02.2016 को पारित किया गया है, जो पूर्णरूप से न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। उक्त कार्यवाही से आवेदक का आवेदन पत्र निराकृत नहीं हुआ है, बल्कि आवेदन पर स्वतः ही निरस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधिवत एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

भूमि विक्रय किये जाने के संबंध में विधिवत् रूप से अनुबंध पत्र दिया गया है इससे आवेदक को कोई आर्थिक हानि नहीं हो रही है बल्कि आवेदक को भूमि का जो मूल्य प्राप्त हो रहा है वह वर्तमान गार्ड लाईन के अनुसार से अधिक है, ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने

2/2



की कृपा करें।

5- आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के अनुसार प्रकरण में यह देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

1- नायब तहसीलदार खम्हरिया ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2015 में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 4.46 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- नायब तहसीलदार खम्हरिया ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त

4/5

*(Signature)*

भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 1 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-21/2015-15 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को भूमि खसरा नं. 265/1 रकवा 2.00 है0, भूमि से 0.40 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
सदस्य